



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1434/UP/4/2023-ESD NOTICE

दिनांक: 22.03.2023

सेवा में,

श्री मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
धर्मार्थ कार्य विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
बापू भवन, सचिवालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश- 226001.
ई-मेल: dharmarthkarya57@gmail.com

श्री चन्द्र विजय सिंह,
जिलाधिकारी,
जिला-सोनभद्र,
डीएम कार्यालय, लोदी,
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश-231216
ई-मेल: dmson@nic.in

डॉ. यशवीर सिंह
पुलिस अधीक्षक,
जिला-सोनभद्र,
एस.पी. निवास, लोदी,
सोनभद्र, यूपी-231216
ई-मेल: spsbr-up@nic.in

विषय: परम्परागत धार्मिक स्थल में प्रवेश व पूजा पाठ करने से रोके जाने तथा कूटरचित तरीके से पूजा स्थल को हड़पने का प्रयास किया जाने के संबंध में श्री बसंतलाल भुईया, ग्राम निमियाडीह, पोस्ट बघाड़, थाना दुद्धि, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का दिनांक 14.03.2023 का अभ्यावेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री बसंतलाल भुईया से दिनांक 14.03.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 03 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री बसंतलाल भुईया,
ग्राम निमियाडीह,
पोस्ट बघाड़, थाना दुद्धि,
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश-231208

9/ जारी किया
ISSUED

(एच.आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी)

3897 - 3898 - 3899 - 3900

23/3/23